न्यायालय जिला एंव सत्र न्यायाधीश टिहरी गढवाल
प्रकीर्ण फौजदारी वाद सं0 .....98...... / 2026
राजू शर्मा बनाम उत्तराखण्ड सरकार

CNR No. - UKTG01-000-489-2026

अधिवक्ता– कु0 शालिनी उनियाल

....

12.08.2026– आज यह स्थानान्तरण पत्र प्रार्थना पत्र प्रार्थी राजू शर्मा के अधिवक्ता कु0 शालिनी उनियाल की ओर से प्रस्तुत हुआ। आदेश हुआ कि– प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना।

स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र प्रकीर्ण वाद के रूप में दर्ज रजिस्टर हो। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को उक्त प्रार्थना पत्र की नकल प्रदान की जाए। सम्बन्धित न्यायालय / कार्यालय से आख्या तलब हो। पत्रावली स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र सुनवाई / निस्तारण हेतु लंच बाद पेश हो।

(नितिन शर्मा)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
टिहरी गढवाल

Later on-
12-08-2026

स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ। कार्यालय आख्या व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता कु0 शालिनी उनियाल की ओर प्रार्थना पत्र कागज संख्या 3ख इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी का वाहन पुलिस द्वारा कब्जे में लिया गया है उक्त फौजदारी वाद न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टिहरी गढवाल में चला रहा है। प्रार्थी अपने मामले को जुर्म इकबाली के आधार पर निस्तारित करवाना चहता है, परन्तु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टिहरी गढवाल अवकाश पर है। अतः उक्त मामले को निस्तारण हेतु अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण करने की याचना की है।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता को सुना।

प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र से फौजदारी वाद सं0 493 / 2026 सरकार बनाम सरबजीत अन्तर्गत धारा–184,185,202 व 207 एम0वी0एक्ट की पत्रावली मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टिहरी के न्यायालय में गतिमान है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टिहरी गढवाल अवकाश पर है प्रार्थी जुर्मइकबाल कर मुकदमें का निस्तारण कराना चाहता है, प्रार्थी आज न्यायालय में उपस्थित है। उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा कोई आपत्ति प्रकट नहीं की गयी है।

अतः ऐसी स्थिति में न्यायहित में प्रार्थी का स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र 3 ख स्वीकार किया जाता है तथा फौजदारी वाद संख्या 493/2026 सरकार बनाम सरबजीत सिंह की पत्रावली न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टिहरी से अन्तरित कर वास्ते सुनवाई एवं निस्तारण हेतु **न्यायालय अपर सिविल जज (सीनियर डिविजन)/ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टिहरी गढवाल के न्यायालय** में स्थानान्तरित की जाती है। उक्त एक आदेश की प्रति सम्बन्धित न्यायालय में प्रेषित की जाए। स्थानान्तरण पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(नितिन शर्मा)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
टिहरी गढवाल